न्यायालय मुंसिफ, बलिया

T.S- 12/17

बीबी सौफिया खातुन.....वादी

बनाम

संजीदा खातुन वगै0..... प्रतिवादी

02/09/19 उभयपक्षों से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अभिलेख सुनवाई पर चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या– 01 की ओर से 03/05/2019 का आवेदन जिसकी प्रतिउत्तर दिनांक– 11/07/2019 को दाखिल किया गया है। उभयपक्षों को सुना दिये हुए आवेदन के अनुसार प्रतिवादी ये चाहते हैं कि कोर्ट दिनांक– 03/04/2019 के दोष को रिकॉल करते हुए प्रतिवादी के द्वारा दाखिल व्यान तहरीर को स्वीकार करते हुए इस मुकदमे में उनको आगे की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देवे। प्रतिउत्तर में वादी का यह कहना है कि दिये हुए आवेदन सभी प्रतिवादियों के तरफ से दाखिल है लेकिन प्रेयर भाग में केवल प्रतिवादी संख्या– 01 का हस्ताक्षर है, प्रतिवादी को पर्याप्त मौका देने के बाद से डब्लू.एस को अभिलेख को अग्रिम कार्रवाई हेतु रखी गई थी। अभिलेख का अवलोकन किया करने के बाद यह स्पष्ट है कि किसी भी पक्षकार को अपनी बात रखने का पूरा मौका देना न्यायहित में जरूरी है ताकि अभिलेख को गुण दोष के आधार पर निर्धारित किया जा सके। एक पक्ष को रोक कर दूसरे पक्ष का मुकदमा सुनना किसी भी तरह से न्यायहित में नहीं है।

अतः प्रतिवादी का आवेदन दिनांक– 03/05/2019 को स्वीकार किया जाता है। चुंकि यह प्रतिउत्तर उन्होंने बहुत विलंब से दाखिल किया है। अतः इसे 500 (पॉच सौ रूपया) खर्चा के साथ स्वीकार किया जाता है जो कि विपक्षी को देय होगा। वाद दिनांक– 05/11/2019 को डब्लू.एस स्वीकार करने के बाद धारा– 89 प्रक्रिया हेतु रखा जाता है।

मुंसिफ